

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली, मुख्यालय-वैढन,(म.प्र.)

—:: विविध आदेश ::—

क्र./ 176/ सीजेएम/ 2025

सिंगरौली, दिनांक : 15.12.2025

मैं शिवचरण पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली मुख्यालय वैढन (म.प्र.) कार्य सुविधा की दृष्टि से माह जनवरी एवं फरवरी, 2026 में सार्वजनिक अवकाश में जिला सिंगरौली मुख्या. वैढन एवं तहसील न्यायालय देवसर, सरई में समय 03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम. बजे तक या जब तक कार्य पूर्ण हो, रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण की ड्यूटी निर्धारित करता हूं कि -

मुख्यालय-वैढन, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह जनवरी, 2026	माह फरवरी, 2026
1.	श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. वैढन	01, 17	07, 21
2.	सुश्री प्रिन्सू मिश्रा जे.एम.एफ.सी. वैढन	04, 11, 25	01, 15
3.	सुश्री सिमरन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. वैढन	03, 18, 26	08, 22

तहसील-देवसर, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह जनवरी, 2026	माह फरवरी, 2026
1.	श्री विष्णुकान्त मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	निरंक	07, 08
2.	श्रीमती पूनम सिंह जे.एम.एफ.सी. देवसर,	25, 26	01
3.	श्रीमती अदिती तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	निरंक	15, 21, 22
4.	श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	03, 04, 11	निरंक
5.	श्री अनिल नामदेव, जे.एम.एफ.सी. देवसर,	01, 17, 18	निरंक

तहसील सरई, जिला सिंगरौली -

क्र.	न्यायिक अधिकारी	माह जनवरी, 2026	माह फरवरी, 2026
1.	श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी. सरई,	1, 3, 4, 11, 17, 18, 25, 26	1, 7, 8, 15, 21, 22

नोट:-

1. रिमांड डियूटी के दौरान यदि पुलिस रिमांड दिया जाता है तो पुलिस रिमांड की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
2. रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट रिमांड के समय धारा 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन पेश होने वाली एफ.आई.आर. की प्रति, 60/90 दिवस की निर्धारित अवधि के अभियोग पत्र भी प्राप्त करेंगे।
3. रिमांड डियूटी के दौरान रिमांड डियूटी मजिस्ट्रेट अपने-अपने मुख्यालय के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों सहित अन्य आपराधिक मामलों में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कथन भी लेखबद्ध करेंगे। महिलाओं से संबंधित अपराध के मामलों में रिमांड डियूटी के दौरान उपस्थित पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 183(6)(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान का पालन करते हुये कथन लेखबद्ध किये जावेंगे।
4. उपरोक्त रिमांड कार्य संपादित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित आपसी सहमति से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित/लिखित आपसी सहमति प्रेषित करते हुए आपस में रिमांड डियूटी परिवर्तित करवा सकते हैं।
5. किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में रिमांड कार्य/प्रतिप्रेषण प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संपादित किया जायेगा। प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर होने की दशा में उनका रिमांड कार्य सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड करेंगे।
6. मुख्यालय सरई में एक ही मजिस्ट्रेट के पदस्थ होने से उनके अवकाश में जाने पर सार्वजनिक अवकाश के दौरान उनका रिमाण्ड कार्य/आवश्यक कार्य मुख्यालय देवसर के रिमाण्ड डियूटी मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा।
7. यदि किसी कारणवश माह माह जनवरी एवं फरवरी, 2026 में नियत अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो मुख्यालय वैद्वन का रिमांड कार्य माह जनवरी, 2026 में सुश्री सिमरन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. वैद्वन एवं माह फरवरी, 2026 में श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. वैद्वन के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं मुख्यालय देवसर में माह जनवरी, 2026 में श्रीमती अदिति तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर तथा माह फरवरी, 2026 में श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी. देवसर के द्वारा निष्पादित किया जाएगा एवं मुख्यालय सरई में माह जनवरी एवं फरवरी, 2026 में श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी. सरई के द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

— Sd —

(शिवचरण पटेल)

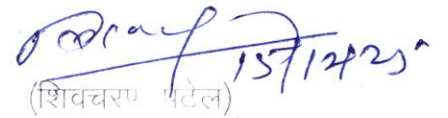
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्या. वैद्वन (म०प्र०)

पृ.क्र. / 176(15) / 2025

सिंगरौली, दिनांक : 15.12.2025

प्रतिलिपि:—

1. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म.प्र. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निष्पादन लिपिक, न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली।
3. सुश्री रूपा मिश्रा, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, जिला सिंगरौली म0प्र0।
4. श्री विशाल रिछारिया, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
5. सुश्री प्रिंसू मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
6. सुश्री सिमरन गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. मुख्यालय वैठन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
7. श्री विष्णुकांत मिश्रा, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
8. श्रीमती पूनम सिंह, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
9. श्रीमती अदिति तिवारी, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
10. श्री अंकुर तिवारी, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
11. श्री अनिल नामदेव, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0।
12. श्री हर्षवर्धन राठौर, जे.एम.एफ.सी., तहसील मुख्यालय सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0।
13. पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सिंगरौली जिले के समस्त थाना प्रभारी को सूचित करने का कष्ट करें।
- ~~14.~~ जिला नाजिर, जिला न्यायालय वैठन/देवसर/सरई जिला सिंगरौली को उपरोक्त तिथियों में संबंधित न्यायालय खुले रखने हेतु सूचनार्थ।
- ✓ 15. सिस्टम एनालिस्ट, सर्वर रूम जिला न्यायालय वैठन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल जरिए मेल पृष्ठांकन अनुसार सूचित करे।
16. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ वैठन/देवसर/सरई की ओर सूचनार्थ।


(शिवचरण पटेल)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सिंगरौली, मुख्यालय वैठन (म0प्र0)

